यूपी में एम सैण्ड नीति लागू, विकास व निर्माण कार्यों को मिलेगी गति

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग उत्तर प्रदेश माला श्रीवास्तव ने बताया कि सरकार का मन्शा और उपभोक्ताओं की सुविधा, सरलता व सुलभता के दृष्टिगत बहुप्रतीक्षित उत्तर प्रदेश में एम सैण्ड नीति-2024 लागू की गयी है। माला श्रीवास्तव ने बताया कि प्रदेश की बढ़ती अर्थव्यवस्था में विकास व निर्माण कार्यों को गति देने हेतु नदी तल में पाये जाने वाले बालू के विकल्प के रूप में एम सैण्ड (डंदनिंबजनतमक ँदक) अर्थात् कृत्रिम बालू के उत्पादन को प्रोत्साहित करने हेतु भूतत्व एंव खनिकर्म अनुभाग द्वारा 'उप्र एम सैण्ड नीति-2024' प्रख्यापित की गयी है। और उम्मीद की जा रही है कि इस नीति के प्रख्यापन व क्रियान्वयन होने से उत्तर प्रदेश को वन ट्रिलियन डालर की अर्थव्यवस्था बनाने में उत्तर प्रदेश भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग का भी महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। श्रीवास्तव ने एम सैण्ड की विशेषताओं के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि एम सैण्ड से तात्पर्य कृत्रिम बालू से है जो स्वस्थाने चट्टान/ ओवरबर्डन को पीस कर उत्पादित किया जाता है। नेशनल सैण्ड माइनिंग प्रेमवर्क 2018 एवं भारतीय मानक ब्यूरो के अनुसार एम सैण्ड की रासयनिक विशिष्टताए एवं स्ट्रेंथ नदी से प्राप्त बालू के समान होती है एवं इसका अनुप्रयोग भी समान प्रकार से किया जा सकता है। नदी से प्राप्त बालू में मिट्टी व सिल्ट की मात्रा लगभग 0.45 प्रतिशत होती है, जबकि एम सैण्ड में यह लगभग 0.2 प्रतिशत है। नदी से प्राप्त बालू में जल अवशोषण 1.15 प्रतिशत होता है, जबकि एम सैण्ड में यह लगभग 1.6 प्रतिशत है। एम सैण्ड से बने कंक्रीट में बॉड स्ट्रेंथ भी मार्जिनली अधिक होती है। नदी से प्राप्त बालू की तुलना में एम सैण्ड से बने मोर्टार में कम्प्रेसिव स्ट्रेंथ अधिक होती है।